

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 376]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 सितम्बर 2021—भाद्र 25, शक 1943

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. 711-179-सीसी-20-अड़तीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, शब्द और अंक “धारा 36 की उपधारा (8)” के स्थान पर, शब्द और अंक “धारा 36 की उपधारा (10)” स्थापित किए जाएं।

No. 711-179-CC-20-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Rules, 2008, namely:—

### AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, for the words and figures “sub-section (8) of Section 36”, the words and figures “sub-section (10) of Section 36” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वीरन सिंह भलावी, अवर सचिव,